उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या–2031 /9–1–2022–40टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक–22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की अपेक्षानुसार नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या–1697/9–1–2020–40टी0ए0/20 दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 जारी की गयी थी और तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या–1474/9–1–2022–40टी0ए0/20, दिनांक 13 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–698 मुअर्रिखा, दिनांक 02 अगस्त, 1882 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृष्येत्तर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत, आर्थिक महत्व तथा ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुये संविधान के भाग–नौ–'क' के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत–मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैः–

अनुसूची

नगर पंचायत मानिकपुर, जिला प्रतापगढ़ के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र :–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1.	करीम नगर कला	पूर्व	01 से 154 तक।
2.	चौरही	उत्तर–पश्चिम	01 से 818 तक।
3.	रेताही	पश्चिम	01 से 145 तक।
4.	जोतदम्मन	उत्तर–पश्चिम	01 से 364 तक।
5.	बजहाभीट	उत्तर–पूर्व	01 से 559 तक।
6.	चकबाकी	पश्चिम	01 से 117 तक।
7.	लाट तारा	उत्तर–पूर्व	01 से 1152 तक।
8.	मिरगड़वा	उत्तर	01 से 658 तक।
9.	चौकापार	दक्षिण	01 से 1399 तक।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक–22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no- 2031 /9-1-2022-40T.A. /20 dated,July 22 2022.

NOTIFICATION

No-2031 /9-1-2022-40T.A. /20

Lucknow- Dated July 22 2022

WHEREAS Notification no-1697/IX-1-2020-40T.A./20 dated; December 12, 2020 was issued and published in the Gazette on the same date with a view to invite objections and suggestions from the general public with respect to the inclusion of the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Manikpur in District Pratapgarh as required by section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916).

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of vide Government order no-1474/9-1-2022-40T.A. /20 dated June 13, 2022;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under clause- (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no-II of 1916), and in partial modification of Notification no. 698 Muarikha dated August 02, 1882 and other previous notifications issued in this behalf, the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance and such other factors is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Manikpur in District Pratapgarh for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Manikpur in District Pratapgarh :-

Sr. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gatas
1.	Kareem Nagar Kala	East	01 to 154 ,
2.	Chaurahi	North–West	01 to 818 ,
3.	Retahi	West	01 to 145,
4.	Jotdamman	North–West	01 to 364,

5.	Bajha Bheet	North–East	01 to 559,
6.	Chakbaaki	West	01 to 117,
7.	Laat Tara	North–East	01 to 1152,
8.	Mirgadwa	North	01 to 658,
9.	Chaukapar	South	01 to 1399,

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary